मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (**R.A.S.**)

प्रकरण संख्या – 36/2023
GCMS No. – 2023/83

1. श्री दीपक पिता महेश प्रकाश जी जाति माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।

वादी

बनाम

1. श्री बद्रीलाल पिता श्री भैरूलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी मकनपुरा तहसील निम्बोहड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।
2. हजारीलाल पिता वरदीचन्द गुर्जर जाति गुर्जर निवासी मकनपुरा तहसील निम्बोहड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 183, 188 व 209 राज0का0अधि0

प्रकरण में आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि वाके मौजा मकनपुरा खाता संख्या 24 के आराजी नम्बर 68 रकबा 0.93 हैक्टेयर मे से उत्तरी पूर्वी कौने पर 40 गुणा 20 मीटर पर बद्रीलाल गुर्जर व 7800 वर्गमीटर पर हजारीलाल जाट का भूमि पर जो अवैध आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का है, को हटाकर उक्त आधिपत्य पुनः वादी को तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा सुपूर्द किया जाये साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीं की खातेदारी की आराजी नम्बर 68 व 71 मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें उसके किसी भी भू–भाग पर पुनः कोई कब्जा नहीं करें, मौके पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करें, शांतिपूर्ण तरीके से वादीं को काबिज काश्त रहने दें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया गया।

यह आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:12:01 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा